



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"लेखा / बजट वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्रांक- 149 / 21 बजट (वा0स0यो0) / 2018-19
सेवा में,

दिनांक- 09.06.2018

परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता,
पी0एम0यू0, ए0डी0बी0(सड़क)
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में ए.डी.बी. पोषित/वाह्य सहायतित योजना के कार्यों में आवंटन।

सन्दर्भ:-

(1) शासनादेश संख्या- 541/111 (3)/2018-903 (ए0डी0बी0)/08 टी0सी0 दि0-08.06.2018

(2) परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता पी.एम.यू.ए.डी.बी.लो.नि.वि. देहरादून का पत्र संख्या 807/08 पी.एम.यू.ए.डी.बी.(सड़क)/ 2018 दि0 08.06.2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूजीगत), विश्व बैंक सहायतित योजना/वाह्य सहायतित योजना (ए0डी0बी0 पोषित कार्य) हेतु उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश (क्र0स0-1) द्वारा प्राविधानित धनराशि ₹ 6500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 2000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके क्रम में परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0 (ए0डी0बी0) लो0नि0वि0, देहरादून ने अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.06.2018 (क्र0स0-2) द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 2000.00 लाख की माँग सूचित कराई गई है। सूचित माँग के परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणानुसार खण्डों को ₹ 2000.00 लाख (दू बीस करोड़ मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

शर्तों:- (1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्त हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय/अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) संलग्न विवरणानुसार आवंटित धनराशि का व्यय ए0डी0बी0 की गाइड लाईनों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दि0 31.03.2019 से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा किसी भी दशा में आवंटित धनराशि न तो लेप्स की जायेगी, और न ही वचत धनराशि का समर्पण मान्य होगा।

(3) योजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार होने, तैयार डी0पी0आर0का शासकीय एवं विभागीय मानको के अनुरूप शतप्रतिशत उपयोगी पाये जाने तथा योजना से सम्बन्धित एम0ओ0यू0 की शर्तानुसार कन्सलटेन्सी सम्बन्धी कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(4) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) नियमविरुद्ध किये गये व्यय तथा मानकों के विरुद्ध किये गये व्यय हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे जिनके विरुद्ध आवश्यक कठोरतम् कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेश दि0 08.06.2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-97 विश्व बैंक सहायतित योजना/वाह्य/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढीकरण-01 निर्माण/सुदृढीकरण-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन की प्रति।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखा एवं लेखा परीक्षा) महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त नियन्त्रक, कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को साख-सीमा जारी करने हेतु।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ए0डी0बी0 वृत्त लो0नि0वि0, नई टिहरी/पिथौरागढ़।
5. अधिशासी अभियन्ता निर्माण/निर्माण खण्ड नं0-2, /नि0ख0 (ए0डी0बी0) लो0नि0वि0,.....।

संलग्न:- खण्डवार आवंटन की प्रति।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता


01/6
वा0ग0

पत्रांक 149 /21 बजट (वा0स0यो0)/2018-19 दि0 09 /06/2018 का संलग्नक।
 वित्तीय वर्ष 2018-19 में ए0डी0बी0 पोषित/वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत आवंटन।

अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054-04-337-97-01-24 (पूँजीगत)

(धनराशि लाख ₹)

क्र0सं0	कार्यालय/खण्ड का नाम	दि0 01.04.2018 को अवशेष (Spill Over)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन		योग (कालम 4+5)
			स्वीकृत/ निर्माणाधीन कार्यों हेतु	कार्यालय प्रबन्धन व कन्सल्टैन्सी हेतु	
1	2	3	4	5	6
1	नि0ख0-2 देहरादून (परियोजना निदेशक पी.एम.यू., ए.डी.बी. कार्यालय से सम्बन्धित)	3347.00	0.00	400.00	400.00
2	नि0ख0-2 देहरादून	711.78	349.00	3.00	352.00
3	नि0ख0-2 (ए.डी.बी.) उत्तरकाशी	935.53	150.00	2.00	152.00
4	नि0ख0 (ए0डी0बी0) गौचर	168.56	20.00	2.00	22.00
5	नि0ख0 (ए0डी0बी0) पौडी	107.59	40.00	2.00	42.00
6	नि0ख0 (ए0डी0बी0) नई टिहरी	0.00	0.00	5.00	5.00
7	नि0ख0-2 (ए0डी0बी0) दुगड्डा	7.11	5.00	2.00	7.00
8	निर्माण खण्ड नं0-2 अल्मोड़ा	1170.98	90.00	5.00	95.00
9	नि0ख0 (ए0डी0बी0) बागेश्वर	344.93	5.00	2.00	7.00
10	निर्माण खण्ड नं0-2 नैनीताल	300.00	5.00	2.00	7.00
11	नि0ख0 (ए0डी0बी0) पिथौरागढ़	622.17	100.00	6.00	106.00
12	नि0ख0 (ए0डी0बी0) रुद्रपुर	1467.86	800.00	5.00	805.00
योग, (क्र0सं0 1 से 12 तक)		9183.51	1564.00	436.00	2000.00


 प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
 9/6/18